


दिनांक: 21 जुलाई 2017

माननीय प्रधान मंत्री जी,

हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जुलाई माह में लगभग 80% व्यापारियों (Non Audit) को अपने आयकर की विवरणी दाखिल करनी होती है | जुलाई माह में ही GST लगाया गया है और 01 जुलाई के बाद से व्यापारी समाज अपना समय सिर्फ GST को समझने एवं अपनाने में लगा हुआ है | आयकर सलाहकार स्वयं भी GST को समझने में और उनका पालन करने में व्यस्त है | अतः आपसे प्रार्थना है कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आयकर विवरणी (Non Audit) भरने कि समय सीमा कम से कम तीन माह बढ़ा दी जाये |

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही करने की कृपा करें |

धन्यवाद



वी के बंसल

राष्ट्रीय अध्यक्ष

+91 8076435958



सेवा में:

श्री नरेंद्र मोदी जी

माननीय प्रधान मंत्री, भारत सरकार

साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स

नई दिल्ली -110010